क्रम संख्या–161 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 ई0
पौष 10, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 367 / XXXVI (3) / 2019 / 65(1) / 2019
देहरादून, 31 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 13 वर्ष, 2019** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019

(अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2019)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 है। (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, इस अधिनियम के उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
धारा 2 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी," शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण", शब्द रखे जाएंगे।
धारा 6 में संशोधन	3.	दिनांक 01 जुलाई, 2017 से मूल अधिनियम की धारा 6 के विद्यमान शीर्षक एवं उपधारा (2) तथा उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक एवं उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्– **"6. कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाना:–** (2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,– (क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय कर की अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा; (ख) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय–वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएगी। (3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां–जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।"

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(क) उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"***स्पष्टीकरण*** – दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली करमुक्त सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, को गणना में नहीं लिया जाएगा।"

(ख) उपधारा (2) में,–

(i) अंग्रेजी पाठ में खंड (घ) के अन्त में आने वाले "and" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ii) हिन्दी पाठ में खंड (ङ) में "अधिसूचित किया जाए"; शब्दों के पश्चात्, " ; और" शब्द रखा जाएगा;

(iii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अन्तर्गत कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर जो विहित की जाए परन्तु जो राज्य में आवर्त के तीन प्रतिशत से अनधिक हो, संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प अपना सकेगा, यदि वह,–

(क) किसी ऐसे मालों या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कराधेय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत

1961 का 43		व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।"; (घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या उपधारा (2क), जैसी भी स्थिति हो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; (ङ) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, " या उपधारा (2क), जैसी भी स्थिति हो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; (च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (2क), जैसी भी स्थिति हो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; (छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थातः– "*स्पष्टीकरण* 1– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों हेतु, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली करमुक्त सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, को गणना में नहीं लिया जाएगा। "*स्पष्टीकरण* 2– इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "राज्य में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:– (i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और (ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को प्रदान किये जाने के माध्यम से छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।"
धारा 22 का संशोधन	5.	मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– "परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रूपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं। *स्पष्टीकरण*– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों,

		ऋणों या अग्रिमों को प्रदान किये जाने के माध्यम से छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप मे प्रदर्शित किया जाता है।"
धारा 25 का संशोधन	6.	मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः— "**(6क)** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समुनदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगाः परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है। **(6ख)** अधिसूचित की जाने वाली तारीख को और उससे ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समुनदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। **(6ग)** अधिसूचित की जाने वाली तारीख को और उससे ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में, सत्यापन कराएगा या कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति के सदस्यों, न्यासी बोर्ड, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग के आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समुनदेशित नहीं किया गया है, को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

		(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य के भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। *स्पष्टीकरण*– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में समुनदेशित किया गया है।"
नई धारा 31क का अंतःस्थापन	7.	मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– "31क. **प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा** –सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसे रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलबध कराएगा।"
धारा 39 का संशोधन	8.	मूल अधिनियम की धारा 39 में,– (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:– "(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गये इनपुट का प्रत्यय, संदेय कर, संदत कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगाः परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा। (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।"; (ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

		"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस अन्तिम तारीख तक करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है: परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनो की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गये कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा: परंतु यह और कि उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनो की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"
धारा 44 का संशोधन	9.	मूल अधिनियम की धारा 44 उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:– "परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा: परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"
धारा 49 का संशोधन	10.	मूल अधिनियम की धारा 49 उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:– "(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय समझा जाएगा। (11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"
धारा 50 का संशोधन	11.	मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

		"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को विकलित करने के माध्यम से किया गया है।"
धारा 52 का संशोधन	12.	मूल अधिनियम की धारा 52 में,– (क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:– "परंतु आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगाः परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"; (ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:– "परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगाः परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"
नई धारा 53क का अंतःस्थापन	13.	मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः– "**53क. कतिपय रकमों का अंतरण**– जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से किसी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का अन्तरण केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते में ऐसी रीति और समय के भीतर, जो विहित किया जाए, करेगी।"
धारा 54 का संशोधन	14.	मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात– "(8क) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य कर का प्रतिदाय वितरित किया जाता है, सरकार ऐसे प्रतिदाय की रकम के बराबर रकम को केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित करेगी।"

धारा 95 का संशोधन	15.	मूल अधिनियम की धारा 95 में,– (i) खंड (क) में,– (क) "अपील प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अपील प्राधिकारी या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे; (ख) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 101ग" शब्द, अंक कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे; (ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः– (च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"
नई धारा 101क, धारा 101ख और 101ग का अंतःस्थापन	16.	मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः– "**101क. अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का गठन**– इस अध्याय के उपबंधो के अधीन, इस अधिनियम के उददेश्यों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा। **101ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील–** (1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) या धारा 101 की उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा: परंतु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं। (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी: परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर दाखिल कर सकेगा: परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

		स्पष्टीकरण– शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था। (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, ऐसी फीस सहित होगी और ऐसी रीति में सत्यापित होगी, जो विहित की जाए।"। **101ग. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश–** (1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे। (2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा। (3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा। (4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे उद्घोषित किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बार्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।"
धारा 102 का संशोधन	17.	मूल अधिनियम की धारा 102 में,– (क) "अपील प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रख दिए जाएंगे; (ख) "धारा 101" शब्दों, अंकों के पश्चात्, "या धारा 101ग, जैसी भी स्थिति हो," शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; (ग) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर ", अपीलार्थी, प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।
धारा 103 का संशोधन 1961 का 43	18.	मूल अधिनियम की धारा 103 में,– (i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– "(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा–

1961 का 43		(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया, समान स्थायी खाता संख्यांक है ; (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।"; (ii) उपधारा (2) में "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।"
धारा 104 का संशोधन	19.	मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) में,– (क) "अपील प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे; (ख) "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 101ग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
धारा 105 का संशोधन	20.	मूल अधिनियम की धारा 105 में,– (क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात:– "प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां"; (ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
धारा 106 का संशोधन	21.	मूल अधिनियम की धारा 106 में,– (क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:– "प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया"; (ख) "अपील प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

धारा 168 का संशोधन	22.	मूल अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में "धारा 39 की उपधारा (6)" शब्दों और अंकों के पश्चात् "धारा 44 की उपधारा (1), धारा 52 की उपधारा (4) और उपधारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
धारा 171 का संशोधन	23.	मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(3क) उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण जहां इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगाः परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है। *स्पष्टीकरण*– इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर कर की दर में कमी का लाभ या इनपुट कर प्रत्यय का लाभ माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।"

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।